बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

विज्ञप्ति सं0-PR 2.18/2025

माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2025 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना।

एतत् द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2025 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार के पत्रांक—09/मुo—05/2025 (अंश) 473 दिनांक 01.09.2025 के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर—I (माध्यमिक) के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाये जाने वाले सभी विषयों तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर—II (उच्च माध्यमिक) के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाये जाने वाले सभी विषयों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2025 का आयोजन किया जाना है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत् है :—

1. संरचना:

- क. पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे।
- ख. प्रत्येक प्रश्न १ अंक का होगा।
- ग. निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

2. परीक्षा के विषय :

माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर— I (माध्यमिक) के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाये जाने वाले सभी विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर—II (उच्च माध्यमिक) के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाये जाने वाले सभी विषय जिनका विवरण निम्नवत् है:—

<u>परिशिष्ट—1</u> पेपर—I (माध्यमिक)

			पेपर—I (माध्यमिक)
क्र० सं०	विषय / विषय समूह		शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक अर्हता
	सामान्य	विषय	विनिर्दिष्ट विषय / विषय समूह में कम से कम 50 प्रतिशत अंक सहित
	विषयः—	कोड	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में
	1. हिन्दी	101	(अथवा इसके समतुल्य) उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से
	2. उर्दू	102	मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।
	3. बंगला	103	अथवा
	4. मैथिली	104	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रनातक अथवा रनातकोत्तर (अथवा
	5. संस्कृत	105	इसके समतुल्य) में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित
	6. अरबी	106	9 /
30.11	7. फारसी	107	स्नातक / स्नातकोत्तर तथा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक
	८. भोजपुरी	108	शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की
1.	9. अंग्रेजी	109	समय—सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों
	10. गणित	110	और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने
	11. विज्ञान	111	के लिए अनुमति) विनियम 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित
95	12. सामाजिक विज्ञान	112	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि)
	134111		विनियम—2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता
			प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।
		4	अथवा
=			राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान
- I		1	से विनिर्दिष्ट विषय/विषय समूह में बी०ए०एड०/बी0 एससी0 एड0 की
			चार वर्षीय उपाधि।

एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में रनातक उपाधि। एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में रनातक उपाधि तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन युनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर–विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा ऐथलिटिक्स में सहभागिता। 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक उपाधि तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर-विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेलों प्रतियोगिताओं अथवा ऐथलिटिक्स में सहभागिता। अथवा प्रतिनियुक्त अभ्यर्थी (अर्थात् प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक / कोच)— ४५ प्रतिशत अंकों सहित स्नातक तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2009 के अनुसार कम से कम 03 वर्ष का अध्यापन अनुभव। 45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक। अथवा एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक। अथवा ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद/खेलों में स्कूल, अन्तर कॉलेजिएट में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 (10.12.2007 को अधिसूचित) के अनुसार एन०सी०सी० ('सी' प्रमाण पत्र) पास किया हो।

शारीरिक शिक्षा

2.

113

अथवा

शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अर्थात बी०पी०एड० पाठ्यक्रम (अथवा इसके समतुल्य)

अथवा

ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद/खेलों/ऐथलेटिक्स में राज्य/विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो।

अथवा

ऐसा स्नातक, जिसने अन्तर-कॉलेजिएट खेलकूद/खेल प्रतियोगिताओं में पहला, दूसरा अथवा तीसरा स्थान प्राप्त किया हो/ एन०सी०सी० ('सी' प्रमाण पत्र) का धारक हो अथवा जिसने जोखिमपूर्ण खेलकूद में बुनियादी पाठ्यक्रम पास किया हो।

अथवा

13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय—सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 के अनुसार खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रबंध, खेलकूद कोचिंग, योगा, ओलंपिक शिक्षा, खेलकूद पत्रकारिता आदि में एक वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित स्नातक।

तथा

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातक (बी०पी०एड०) अथवा इसके समतुल्य।

3.	संगीत विषय	114	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक—उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
4	ललित कला विषय	115	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक—उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
5.	नृत्य विषय	116	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से नृत्य शिक्षा में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

विशेष विद्यालय अध्यापक

(क) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक— उपाधि एवं

(ख) भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बी०एड० के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् के वैध सी०आर०आर० नं० धारित हो

या

बी०एड० के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट / डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बी०एड० के समकक्ष हो एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् के वैध सी०आर०आर० नं० धारित हो।

एवं

(ग) अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण। परन्तुक:— भारतीय पुनर्वास परिषद् के द्वारा अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए उक्त अर्हता को इस शर्त के साथ शिथिल रखा जायेगा कि संबंधित उम्मीदवार नियुक्ति के उपरांत उक्त प्रशिक्षणचर्या के निर्धारण की स्थिति में इसे प्रशिक्षणचर्या प्रारंभ होने की तिथि से 02 वर्ष के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रशिक्षणचर्या को पूर्ण करने हेतु यथा आवश्यक (अधिकृतम 06 माह तक) सवैतिनिक अवकाश मान्य होगा।

नोट:— अभ्यर्थी अपने स्नातक में पठित विषय के अनुसार किसी भी एक विषय / विषय समूह का चयन कर सकते है।

(ii) विषय समूह :--

6.

- (क) गणित :—रनातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी / इलेक्ट्रॉनिक्स / कम्प्यूटर साईंस / रसायन विज्ञान / सांख्यिकी विषय में से कोई दो विषय रनातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से रनातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि रनातक स्तर पर कम्प्यूटर साईंस में बी०सी०ए० की योग्यता को सिम्मिलित माना जायेगा।
- (ख) विज्ञान :—स्नातक स्तर पर जन्तु विज्ञान (प्राणी विज्ञान), वनस्पति विज्ञान एवं रसायनशास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अंतर्गत उपर्युक्त विषयों के अलावा Biotechnology/Microbiology को भी समाहित किया जाता है।
- (ग) सामाजिक विज्ञान :—स्नातक स्तर पर सहायक विषय / प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जायेगा।

2 am

de

(घ) भाषा से संबंधित विषय :—माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा (ऑनर्स)/अनुषांगिक (सब्सीडियरी) विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है।

स्पष्टीकरण:

- (i) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिन्दु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिन्दु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
- (ii) पेपर—I के तहत संगीत, नृत्य एवं ललित कला विषय के लिए अलग—अलग परीक्षा ली जाएगी।
- (iii)शारीरिक शिक्षा के लिए केवल पेपर— I के तहत परीक्षा ली जाएगी, जिसके लिए अर्हत्ता का निर्धारण परिशिष्ट— I की कंडिका—2 में किया गया है।

<u>परिशिष्ट–2</u> पेपर–11 (उच्च माध्यमिक)

	पपर—ा (उच्च माध्यामक)					
क्र॰ सं॰	विषय/विषय स	ामूह	शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक अर्हता			
	सामान्य विषय	विषय	विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित किसी			
		कोड	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय			
	1. हिन्दी	201	अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक			
	2. उर्दू	202	(बी०एड०)।			
	3. अंग्रेजी	203	अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 45 प्रति अंकों सहित स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) तथा 13.11.20			
	4. संस्कृत	204				
	5. बांगला	205				
	6. मैथिली	206				
	7. मगही	207	को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए			
-	8. अरबी	208	आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय—सीमा, अध्यापक			
	9. फारसी	209	शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का			
	10.भोजपुरी	210	निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए			
	11.पाली	211	अनुमति) विनियम 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय			
1.	१२. प्राकृत	212	अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि)			
	13. गणित	213	विनियम—2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से			
	14.भौतिक विज्ञान	214	मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में रनातक (बी०एड०)।			
	१५. रसायनशास्त्र	215	अथवा			
	१६. जन्तु विज्ञान	216	किसी मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों			
	17. इतिहास	217	सहित विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) तथा			
	18. भूगोल	218	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान			
	19. राजनीतिशास्त्र	219	से बी० ए० एड० / बी०एससी०एड०।			
	20. समाजशास्त्र	220	* **			
	21.अर्थशास्त्र	221	अथवा			
	22. दर्शनशास्त्र	222	न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ			
	23. मनोविज्ञान	223	विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर तथा ०३ वर्षीय एकीकृ बी०एड०—एम०एड०।			
	24. गृहविज्ञान	224				
	25.वनस्पति विज्ञान	229				
	And the second s		0			









	वाणिज्य	225	वाणिज्य विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण। विणज्य विषय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण उम्मीदवार वाणिज्य संकाय के तीनों विषयों यथा, EPS (उद्यमिता), Accountancy (लेखा शास्त्र) एवं Business Study (बिजनेश स्टडी) के लिए आवेदन कर सकेंगे। तथा सामान्य विषयों के लिए निर्धारित प्रशैक्षणिक अर्हता।
3.	कम्प्यूटर साईंस	226	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से प्राप्त उपाधि। डी०ओ०इ०ए०सी०सी० से स्तर 'ए' एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए०आइ०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०ई० (कम्प्यूटर साईस/आई०टी०) या बी०टेक० (कम्प्यूटर साईस/आई०टी०) अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से डिग्री। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए०आइ०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में बी०ई० या बी०टेक० की उपाधि तथा कम्प्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साईस में स्नातकोत्तर / एम०सी०ए० या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में स्नातक / बी०सी०ए० या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा डी०ओ०इ०ए०सी०सी० से स्तर 'बी' एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। अथवा स्वान एवं संचार प्राद्योगिकी मंत्रालय से डी० ओ० इ० ए० सी० सी० से स्तर 'सी'' किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। अथवा एम० सी० ए० का तीन वर्षीय कोर्स (६ सेमस्टर्)। नोट:—कम्प्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यार्थियों के लिए बी० एड० की योग्यता अनिवार्य नहीं है।
4.	कृषि	227	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कृषि / उद्यान में स्नातक तथा Agronomy/Plant Breeding & Genetics/Entomology/Plant Pathology/Seed Science & Technology/ Soil Science/ Horticulture में से किसी विषय में स्नातकोत्तर अर्हक योग्यता धारित करना आवश्यक होगा। नोटः— मान्यता प्राप्त संस्था के संदर्भ में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
5.	संगीत	228	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।







